



HAMIRPUR POLICE



थाना सिसोलर

दिनांक 26.02.2024

अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना सिसोलर गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में अपराधी कुलदीप पुत्र राम करन उर्फ राजू वर्मा निवासी ग्राम गढा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर थाना जनपद हमीरपुर अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण:-

1) कुलदीप पुत्र राम करन उर्फ राजू वर्मा निवासी ग्राम गढा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर थाना जनपद हमीरपुर को दिनांक 06.02.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।